राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्राध्यापक–(स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022

पात्रता जांच हेतु ऑनलाईन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु जारी आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. **आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता जाँच की जावेगी।** अतः अभ्यर्थी को निम्नाकिंत दिशा–निदेर्शों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र मय शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक दस्तावेजों के ऑनलाईन आयोग की वेबसाईट पर निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में अपलोड किये जाने है। निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में अपलोड नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को मुख्य परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

2. **संलग्नक :–** अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंकतालिकाएं अपलोड करें। **स्नातक के तीनों वर्षों तथा स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंकतालिकाएं भी आवश्यक रूप से अपलोड करें** । इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जहाँ लागू हो वहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, विवाह–विच्छिन्न प्रमाण–पत्र (डिक्री) एवं विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र के मूल दस्तावेज अपलोड करें। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र और एनओसी भी अपलोड करें ।

3. अभ्यर्थी द्वारा सैकण्डरी/सी0सैकण्डरी/स्नातक के तीनों वर्षों/स्नातकोत्तर/बी.एड की सभी अकंतालिकाएँ और प्रमाण पत्र/डिग्री आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हैं।

4. **जाति प्रमाण पत्र** :–एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर **पिता के नाम के आधार पर** जारी प्रमाण पत्र मान्य होगें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही आयोग को प्रस्तुत करें। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

5. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही आयोग को प्रस्तुत/अपलोड करें।

6. **विधवा श्रेणी (WD) :–**उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आई.डी अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज अपलोड करें, जिसमें पति–पत्नि होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करें।

7. **विवाह–विच्छिन्न श्रेणी (DV)** :– उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी हो तो वो भी अपलोड करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी अपलोड करें ।

8. **भूतपूर्व सैनिक (EX) :– इस श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स–सर्विसमेन की डायरी, पेंशन/पी.पी.ओ. कार्ड की फोटोप्रति, सेना द्वारा सिविल सेवा हेतु जारी एन.ओ.सी., सेना में सेवा के दौरान प्राप्त की गई उच्च शिक्षा की स्वीकृति, दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधी दस्तावेज व शपथ–पत्र अपलोड करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेच्युटी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार सेना द्वारा जारी एन.ओ.सी. की प्रति व अन्य वांछित दस्तावेज भी अपलोड करें ।**

9. **विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र :–** नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी संबंधित निःशक्तता का प्रमाण–पत्र, जिसमें निःशक्तता का स्पष्ट उल्लेख हो एवं निःशक्तता 40 प्रतिशत से कम उल्लेखित ना हो। **साथ ही विज्ञापनानुसार निःशक्तता की उपश्रेणियों का भी विशेष रूप से उल्लेख करें।**

......2

10. **शासन द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से कम है (के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही होगा।) ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम–स्तर से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा जिन अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक है, परन्तु उन्होंने उक्त परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के तहत् परिवार की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से कम आय के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अन्तर राशि भारतीय पोर्स्टल ऑर्डर के रूप में मय प्रार्थना–पत्र आयोग कार्यालय में जमा करवायें।**

11. शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक दस्तावेजों में ऐसे दस्तावेज जिसमें एक से अधिक पृष्ठ हैं, उन समस्त दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड करते समय एक ही समग्र (Combine multiple documents in single PDF) फाईल बनाकर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।